उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

ई–मेल द्वारा | दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024/LC दिनांक 26/12/2024

Managing Director,
Madhyanchal/Purvanchal/Paschimachal/
Dakshinanchal, Vidyut Vitran Nigam Ltd./KESCO,
Lucknow/Varanasi/Meerut/Agra/Kanpur.

Subject: Clarification on Inclusion of GST in the Construction Cost for Labour Cess Calculation

The Commissioner of Labour Cess, Uttar Pradesh through their letter No.14696-99 dated 28.10.2024, addressed to UPPCL, has provided the clarifications regarding the inclusion of GST and other costs in the **value of construction cost** for the purpose of Labour cess calculation.

This clarification has been issued following the directions received from the Secretary of the Uttar Pradesh Building & Other Constructions Labour Welfare Fund on same matter via their letter No. 3553-55/Bhd.Prak.-(1492-3A)24 dated 01.10.2024 (Copy Attached).

The details of the clarifications are as follows:

"As per notification number 1087/9-V-1-18-1(Ka)-29-2017 dated 18.05.2018, issued by the Government of Uttar Pradesh, dated 18.05.2018 which amended Section 3 of Act No. 28 of 1996, the explanation inserted in Sub-section (1) of Section 3 of the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 states the following:

For the purpose of levying the Cess under this sub-section, the cost of construction includes all expenditures incurred by an employer related to building or other construction work, but it excludes:

a) *The cost of land*
b) *Compensation paid or payable to any worker or their dependents under the Employee's Compensation Act, 1923*
c) *Expenditures incurred in installing or upgrading plant or equipment that is not part of the construction activity*
d) *Machines used in hospitals for patient treatment, such as MRI, CT Scans, Dialysis Machines, etc.*

Thus except for the above four categories of costs, the liability of Labour Cess applies to the entire cost of construction, including GST."

In view of above clarifications from Labour commissioner of Uttar Pradesh, the Labour Cess is to be deducted on the gross value of bills, including GST.

Please ensure compliance with immediate effect.

(Nidhi Kumar Narang)
Director (Finance)

दिशा–निर्देश सं0: 01 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024/LC तद्दिनांक

Copy sent to the following for information and necessary action:-

1- P.S. to Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan Lucknow.
2- Director (Commercial)/Corporate Planning/Distribution/U.P. Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan Lucknow.

3- Director (Finance), Madhyanchal/Purvanchal/Paschimachal/Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd./KESCO Lucknow/Varanasi/Meerut/Agra/Kanpur.
4- Deputy General Manager (Material Management), Regional Accounts Office, Lucknow with the request to instruct units accordingly.
5- Deputy General Manager (Corporate Accounts/Administration), Uttar Pradesh Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan Lucknow.
6- Deputy Director, Electrical Training Institute, Sarojini Nagar, Lucknow.
7- All Drawing and Disbursing Officers, Madhyanchal/Purvanchal/Paschimachal/Dakshinanchal, Vidyut Vitran Nigam Ltd./KESCO, Lucknow/Varanasi/Meerut/Agra/Kanpur.
8- Under Secretary (Sachivalay Administration Accounts), Uttar Pradesh Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan, Lucknow.
9- Accounts Officer (Headquarters Payment)/Central Payment Cell/PMU/Pay & Accounts, UP Power Corporation Limited, Shakti Bhawan, Lucknow.
10- Executive Engineer, Website, Uttar Pradesh Power Corporation Ltd., Room No. 409, 4th Floor, Shakti Bhawan for uploading on the website.

29/24

(Nidhi Kumar Narang)
Director (Finance)

प्रेषक,

श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड, कानपुर।

सेवा में,

1. अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
लखनऊ उ0प्र0।

2. निदेशक (वित्त)
उत्तर प्रदेश मैट्रो रेल कारपोरेशन लि0,
लखनऊ उ0प्र0।

3. अधिशाषी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0,
कानपुर।

MD PCL

25.11.24

पत्र संख्या : 14696-99 /भ0नि0प्रको0--24 दिनांक : 20/10/2024

(डा0 आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

विषयः- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत कराये गये भवन निर्माण लागत के बीजक में जी0एस0टी0 सहित उपकर की गणना अथवा जी0एस0टी0 रहित गणना की जायेगी के सम्बन्ध में।

2102/CM/24
04/12/24

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 844/36-2-2023 दिनांक 01 जून 2023 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्र संख्याः 51/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0सेल/2022 दिनांक 17.06.2022 एवं पत्र संख्याः 56/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2023 दिनांक 20.04.2023, तथा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, के पत्र संख्याः 2242/एल.एम.आर.सी. /एफ-4/लखनऊ मेट्रो/VI दिनांक 06.11.2023 एवं अधिशाषी अभियन्ता, विश्व बैक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के पत्र संख्याः 1201/लेबर सेस दिनांक 23.12.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित अपने-अपने पत्रों का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **निर्माण लागत की गणना करते समय निर्माण लागत के बीजक में सम्मिलित जी0एस0टी0 धनराशि को पृथक करते हुए समस्त अनुबन्धों की पूर्ण लागत पर 01 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जाए अथवा जी0एस0टी0 धनराशि को सम्मिलित (Include) करते हुए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।**

Div(F)

04/12/24

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्याः 3752/भ0नि0प्रको0-2024 दिनांक 22.02.2024 द्वारा सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ से उक्त विषयक के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

उक्त के क्रम में सचिव, बोर्ड के पत्र संख्याः 3553-55/भ0नि0बो0-(1492-3ए)24 दिनांक 01.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 1087/9-वि -1-18-1 (का)-29-2017 लखनऊ दिनांक 18 मई 2018 के बिन्दु संख्या-2 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 की धारा-3 में उपधारा-1 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अन्त में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः-

"स्पष्टीकरणः-इस उपधारा के अधीन उपकर के उद्ग्रहण में प्रयोजनार्थ, सन्निर्माण की लागत में, भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार कार्य के सम्बन्ध में किसी नियोजक द्वारा समस्त व्यय सम्मिलित होगा किन्तु सम्मिलित नहीं होगें-

(क) भूमि की लागत,
(ख) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन किसी कर्मकार या उसके आश्रितों को संदत्त या संदेय कोई प्रतिकर,
(ग) ऐसे संयंत्र, उपस्कर, जो सन्निर्माण क्रियाकलाप के भाग न हो, को लगाये जाने या उन्नत किये जाने पर उपगत व्यय,
(घ) चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार हेतु प्रयुक्त मशीनें यथा एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, डायलिसिस मशीन आदि।

No. 4914/PS/DF/24
Q 06/12/24

AO Tax

CGM (F)

6433/MDS/2024
05.12.24

..........2

(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
उ0प्र0पा0का0लि0

No. 2178 CGM (F&A) Dt.
DGM (Fund)/(A&A)/(Audit)
Dt-06-12-24
CGM (F&A)

4387/DGM(A&A)/24
06-12-24

D.No-284/CT & GST/2024
Dt 07-12-2024

अतः उक्त 04 प्रकार के मदों को छोड़कर निर्माण पर व्यय होने वाली समस्त लागत जिसमें जी0एस0टी0 भी सम्मिलित है, पर उपकर की देयता बनती है, तद्नुसार सम्बन्धित विभागों को अवगत कराने का प्रस्ताव बोर्ड की 64 वी0 बैठक दिनांक 12.07.2024 में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं तत्सबंधी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सर्वसम्मति से निर्देश प्रदान किये गये है।

कृपया उक्त से सादर अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(नदीम अहमद)
उप श्रमायुक्त उ0प्र0।
कृते श्रम आयुक्त उ0प्र0।

पत्र संख्या : /भ0नि0प्रको0–24 दिनांक : / /2024

प्रतिलिपिः

1. अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 844/36–2–2023 दिनांक 01 जून 2023 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर/उप/सहायक श्रमायुक्तों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(नदीम अहमद)
उप श्रमायुक्त उ0प्र0।
कृते श्रम आयुक्त उ0प्र0।

AO (Sh Akash Bharti)
Matter pertains to labour cess. As instructed, pl see & do the needful.
A.O. (Tax), UPPCL
7/12/24

प्रेषक,

सचिव,
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
द्वितीय तल, ए एवं डी ब्लाक, किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड,
कानपुर।

पत्रांक 3553-55 /भ0नि0बो0-(1492-3ए)24 दिनांक : 01/10/2024

विषयः- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 व भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों एवं निर्माण लागत के बीजक में सम्मिलित जी0एस0टी0 की देयता के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं0 3752/भ0नि0प्रको0-24 दिनांक 20.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन के पत्र सं0 844/36-2-2023 दिनांक 01.06.2023 के क्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.04.2023, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 के पत्र दिनांक 01.11.2023 एवं अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के पत्र दिनांक 23.12.2023 को संलग्न करते हुए सेवायोजकों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत कराये गये **निर्माण की लागत पर जी0एस0टी0 सहित 01 प्रतिशत उपकर की गणना अथवा जी0एस0टी0 रहित उपकर की गणना किये जाने के प्रकरण** को बोर्ड की 64वीं बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपर्युक्त क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1087/9-वि-1-18-1 (क)-29-2017 लखनऊ, 18 मई, 2018 के बिन्दु-2 के अन्तर्गत भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अन्त में बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरणः- इस उपधारा के अधीन उपकर के उद्ग्रहण में प्रयोजनार्थ, सन्निर्माण की लागत में, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में किसी नियोजन द्वारा उपगत समस्त व्यय सम्मिलित होगा किन्तु उसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे-

(क) भूमि की लागत
(ख) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923 के अधीन किसी कर्मकार या उसके आश्रितों को संदत्त या संदेय कोई प्रतिकर,
(ग) ऐसे संयंत्र, उपस्कर, जो सन्निर्माण क्रियाकलाप के भाग न हों, को लगाये जाने या उन्नत किये जाने पर उपगत व्यय,
(घ) चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार हेतु प्रयुक्त मशीनें यथा एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, डायलिसिस मशीन आदि।"

अतः उक्त 04 प्रकार के मदों को छोड़कर निर्माण पर व्यय होने वाली समस्त लागत जिसमें जी0एस0टी0 भी सम्मिलित है, पर उपकर की देयता बनती है, तद्नुसार सम्बन्धित विभागों को अवगत कराने का प्रस्ताव बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 12.07.2024 में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिसपर बोर्ड द्वारा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम, 1996'' एवं तत्सम्बंधी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के सर्वसम्मति से निर्देश प्रदान किये गये।

कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोक्त।

भवदीया,

(ग़ज़ल भारद्वाज)
सचिव, बोर्ड।

पत्र सं0:— /भ0नि0बो0(1492—3ए)24 दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. समस्त क्षेत्रीय एवं जनपदीय अधिकारी उ0प्र0।

(ग़ज़ल भारद्वाज)
सचिव, बोर्ड।

Scanned with OKEN Scanner

क्रम-संख्या–120

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–18

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 मई, 2018

वैशाख 28, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1087/79-वि-1–18-1(क)-29-2017

लखनऊ, 18 मई, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 09 मई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 28 सन् 1996 की धारा 3 का संशोधन

2–भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

'स्पष्टीकरण:– इस उपधारा के अधीन उपकर के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ, सन्निर्माण की लागत में, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में किसी नियोजक द्वारा उपगत समस्त व्यय सम्मिलित होगा किन्तु उसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे–

(क) भूमि की लागत;

(ख) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन किसी कर्मकार या उसके आश्रितों को संदत्त या संदेय कोई प्रतिकर;

(ग) ऐसे संयंत्र, उपस्कर, जो सन्निर्माण क्रियाकलाप के भाग न हों, को लगाये जाने या उन्नत किये जाने पर उपगत व्यय;

(घ) चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार हेतु प्रयुक्त मशीनें यथा एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, डायलिसिस मशीन आदि।"

उद्देश्य और कारण

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने के लिये उपबंध करने हेतु भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन् 1996) अधिनियमित किया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रयोजन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी कर्मचारी द्वारा उपगत सन्निर्माण लागत के अनधिक दो प्रतिशत किन्तु अन्यून एक प्रतिशत की दर पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा। इस उपधारा में उपकर के निर्धारण हेतु भूमि के मूल्य, किसी कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारियों को संदत्त प्रतिकर, एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन और डायलिसिस जैसे मशीनों, जो उपकर के निर्धारण से छूट प्राप्त हैं, सहित उत्पादन तथा उन्नत किये जाने वाले संयंत्रों और उपस्करों के आगणन का उपबंध नहीं है। मुकदमेबाजी के दबावों को कम करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त धारा का, उसमें स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बंध में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1087(2)/LXXIX-V-1–18-1(ka)-29-2017
Dated Lucknow, May 18, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhawan aur Anya Sannirman Karmkar Kalyan Upkar (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 09, 2018.

THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. ACT NO. 28 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 3 of Act no. 28 of 1996

2. In section 3 of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996, in sub-section (1) the following explanation shall be *inserted* at the end, namely:-

"*Explanation*:- For the purpose of levy of cess under this sub-section cost of construction shall include all expenditure incurred by an employer in connection with the building or other construction work but shall not include -

(a) cost of land;

(b) any compensation paid or payable to a worker or his dependents under the Employees's Compensation Act, 1923;

(c) expenditure incurred on such plant, equipments installed or upgraded which are not part of construction activity;

(d) machines such as MRI, CT Scan, Dialysis machine *etc.* used for treatment of patients in hospitals."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (Act no. 28 of 1996) was enacted to provide for the levy and collection of a cess on the cost of construction incurred by employers with a view to augmenting the resources of the Building and Other Construction Workers' Welfare Boards constituted under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

Sub-section (1) of section 3 of the said Act provides that there shall be levied and collected cess for the purposes of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 at such rate not exceeding two per cent but not less than one per cent of the cost of constructions incurred by an employer, as the Central Government may, by notification in the official *Gazette*, from time to time specify. This sub-section does not provide to take into account the value of land, compensation paid to any worker or his heir for the assessment of the cess, the plant and equipment for the production and upgradation work including the machines like MRI, CT Scans and Dialysis machines, *etc.* which are exempted from the assessment of the cess. With a view to lessen the pressure of litigation, it has been decided to amend the said section in its application to Uttar Pradesh by inserting an explanation therein.

The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 75 राजपत्र–2018–(186)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 10 सा० विधायी–2018–(187)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)